भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :1394

दिनांक 15 दिसम्बर, 2022/24 अग्रहायण,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>उड़ान 4.2 के अंतर्गत नए वायु मार्ग</u>

1394. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संतोष कुमार:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में उड़ान 4.2 योजना के तहत 120 नए वायु मार्ग शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय/डिजीटिल हवाई मार्गों सहित इन नए वायु मार्गों सहित नए वायु मार्गों की पहचान की है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) नए वायु मार्ग कब तक चालू होने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार का देश में आम आदमी के बीच विमान यात्रा को लोकप्रिय बनाने के लिए यात्रियों को सस्ता विमान किराया टिकट उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा देश में अंतिम व्यक्ति को विमान संपर्क उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार का देश में दूरस्थ क्षेत्रों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(छ) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत नालंदा को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसी, द्वारा उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अंतर्गत बोली चरण 4.2 में प्रचालनों के लिए चयनित प्रचालकों को 132 मार्ग अवार्ड किए गए हैं।
यदि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया गया है, तो उड़ान योजना के अंतर्गत चयनित प्रचालक (एसएओ) अवार्ड पत्र की प्राप्ति के 180 दिन की अवधि में चयनित मार्ग के लिए उड़ान प्रचालन प्रारंभ करने के लिए बाध्य है।
(घ) और (ङ): नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश के अपरिचालित एवं अल्पपरिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता में संवर्धन करने तथा सर्वसाधारण के लिए विमान यात्रा को वहनीय बनाने के उद्देश्य से 21.10.2016 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) का शुभारंभ किया गया था। उड़ान योजना के अंतर्गत सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना मार्ग पर 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की दूरी (लगभग एक घंटे की उड़ान) की प्रत्येक क्षेत्रीय संपर्क योजना सीट के लिए 2500 रुपए का सांकेतिक हवाई किराया लक्षित किया है। चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत आने वाले फिक्स्ड विंग विमान में सीटों की 50% क्षमता अथवा अधिकतम 40 सीटें, जो भी कम हो, आरसीएस सीटों के रूप में उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गई है। यह विमान किराया उड़ान योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार इंडेक्सेशन की शर्त पर है। उड़ान एक बाजार चालित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें किसी मार्ग विशेष पर मांग अपने आकलन के आधार पर उड़ान योजना के अंतर्गत की जाने वाली बोली प्रक्रियाओं में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।
(च): उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टरों के प्रचालन की अनुमति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए हैं जिनमें जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह शामिल हैं।
उड़ान योजना के अंतर्गत आयोजित बोली के चार चरणों में पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में स्थित दूरस्थ/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों के प्रचालन के लिए 40 हेलीपोर्ट चिह्नित किए गए हैं। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में 9 हेलीपोर्टो को जोड़ने वाले 40 हेलीकॉप्टर मार्गों पर प्रचालन प्रारंभ हो गए हैं।
(छ): उड़ान योजना के अंतर्गत अपरिचालित हवाईअड्डों की संभावित सूची में नालंदा, बिहार का नाम नहीं है। तथापि, उड़ान के अंतर्गत बोली आगामी चरण में बिहार सरकार से यह नाम शामिल किए जाने का अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में योजना दस्तावेज के प्रावधानों के अंतर्गत इसे उड़ान योजना में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा।

****